न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 4 बरेली।

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं0 396/19

बेनीराम बनाम नत्थु आदि

अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0

थाना–भमोरा, जनपद–बरेली।

दिनांक 21.10.2019

पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु कथन किया गया है कि दिनांक 01.09.2019 कर रात समय करीब 10:00 बजे प्रार्थी गांव के मन्दिर पर पूजा पाठ करने गया था वहीं पर गांव के नत्थु पुत्र छदम्मी मिल गये जो कि गन्दी–गन्दी एवं अशलील गालियां देने लगे, प्रार्थी ने गालियां देने का विरोध किया तो नत्थु एवं नत्थु का लड़का पंकज उर्फ भुल्ला ने बेनीराम को लाठी डन्डों से मारा–पीटा जिससे प्रार्थी का बायां हाथ टूट गया। प्रार्थी के शरीर पर गुम चोंटें आई है। इस घटना को गांव के ही अजय पुत्र जमुना प्रसाद एवं प्रेमचन्द ने देखा। जैसे ही गांव के लोग इकठ्ठा हुए वैसे ही मुल्जिमानगण ने आयन्दा दिखने पर जान से मारने पर धमकी देकर भाग गये। मुल्जिमानगण प्रार्थी से इसलिए रंजिश मानतें हैं क्योंकि प्रार्थी ने मुल्जिमान के भाई का खेत खरीद लिया है। प्रार्थी चोट लगने के बाद थाने दिनांक 02.09.2019 को गया एवं मुलिजमान के खिलाफ लिखित शिकायत की किन्तु थाने से आज तक मुलिजमान के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थी ने उपरोक्त घटना की सूचना रजिस्ट्री डाक श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को दी। किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही की गई।

थाने की आख्यानुसार इस प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित तथ्यो के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के उपरान्त न्यायालय की राय है कि आवेदक का यह प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विनिश्चय **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 CRLJ 472 व विनिश्चय राम बाबू गुप्ता व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001 Cr LJ 3363** मे प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तो व वर्तमान प्रकरण के विशिष्ट तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए परिवाद के रूप मे स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी बेनीराम द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप स्वीकार किया जाता है। अतः परिवाद के रूप मे दर्ज हो व प्रार्थी वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 23.11.2018 को प्रातः 10:30 बजे न्यायालय मे उपस्थित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष संख्या 4 बरेली